



विद्याज्ञान स्कूल - प्रारम्भिक प्रवेश परीक्षा-2020-21

प्रवेश पत्र (बालक हेतु)

अनुक्रमांक :

WB25348

* यदि छाया प्रति हो तो
नया क्रमांक

1. परीक्षार्थी : जन्म तिथि _____

का नाम

2. पिता / अभिभावक पुत्र

का नाम :

3. निवास का पता: ग्राम का नाम

पोस्ट ऑफिस विकास खण्ड

तहसील जिला पिन कोड

मोबाइल- परीक्षार्थी आधार कार्ड नं.

4. अध्यनरत विद्यालय

का नाम व पता :

5. उत्तर पत्रक (OMR Sheet) का क्रमांक :
(इसे परीक्षार्थी द्वारा स्वयं परीक्षा कक्ष में भरना है)

6. पहचान हेतु आवेदन पत्र, फोटोयुक्त राजकीय पहचान पत्र अथवा आधार कार्ड की

छाया प्रति साथ में लेकर आना है।

प्रारम्भिक प्रवेश परीक्षा का समय : 2:30 बजे से 4:30 बजे तक

आवेदक स्वयं का
फोटो यहाँ
चिपकायें

3.5 सेमी X 4.5 सेमी

(अभिभावक फोटो पर हस्ताक्षर करें)

(परीक्षार्थी के हस्ताक्षर)

प्रारम्भिक प्रवेश परीक्षा की तिथि : परीक्षा केन्द्र
24 नवम्बर 2019 का नाम एवं पता:

हस्ताक्षर एवं मोहर
खण्ड शिक्षा अधिकारी

* विकास खण्ड संशाधन केन्द्र द्वारा प्रदान किया जायेगा

अध्ययनरत विद्यालय के
प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर एवं मोहर

महत्वपूर्ण निर्देश

- विद्याज्ञान प्रवेश परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को केवल एक ही अवसर प्राप्त होता है।
- परीक्षार्थी को अपनी पहचान हेतु अपने साथ अपना मूल प्रवेश पत्र, आवेदन पत्र की छाया प्रति, फोटोयुक्त राजकीय पहचान पत्र अथवा आधार कार्ड की छाया प्रति तथा किलप बोर्ड/दफ्तरी/तखी/पट्टी और नीले/काले बॉल पॉइंट पेन लाना है।
- परीक्षार्थी को निर्धारित परीक्षा केन्द्र पर निर्धारित दिन पर निर्धारित समय से 1 घंटे पहले पहुँचना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी द्वारा इस प्रवेश पत्र के बिन्दु सं 5 में उत्तर पत्रक (OMR Sheet) का क्रमांक परीक्षा कक्ष में स्वयं भरना आवश्यक है। उत्तर पत्रक (OMR Sheet) के नम्बर की सहायता से ही प्राथमिक परीक्षा का परिणाम विद्याज्ञान वेबसाइट* से ज्ञात होता है।
- उत्तर प्रदेश में कक्षा 3, 4 एवं 5 के पाठ्यक्रम - भाषा (हिन्दी एवं अंग्रेजी), गणित, विज्ञान, सामाजिक एवं सामान्य ज्ञान, विश्लेषात्मक तथा निपुणता के क्षेत्र में विद्यार्थी का ज्ञान एवं समझ का परीक्षण किया जाता है।
- परीक्षार्थी को परीक्षा के दौरान उत्तर देने हेतु उत्तर पत्रक (OMR Sheet) दिया जायेगा जिसका मूल्यांकन कम्प्यूटर द्वारा किया जायेगा। अतः ओ०ए०आर० उत्तर पत्रक को भरते समय निम्न सावधानियों को ध्यान में रखें –
 - (A) परीक्षार्थी अपना अनुक्रमांक, नाम तथा पिता/अभिभावक का नाम उत्तर पत्रक के निर्धारित बॉक्सों में केवल अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (CAPITAL) में सावधानीपूर्वक अंकित करें। परीक्षार्थी सुनिश्चित करें कि उत्तर पत्रक को मोड़ा न जाये और उस पर कोई अन्य निशान भी न लगायें तथा किसी प्रकार का रफ कार्य/कच्चा कार्य न करें। उत्तर पत्रक को सावधानी से भरें। दूसरा नया उत्तर पत्रक नहीं दिया जायेगा।
 - (B) वृतों को काला करने के लिए नीले/काले बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करें।
 - (C) प्रश्न पत्र में प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में चार विकल्प (A), (B), (C) तथा (D) दिये गये हैं, जिनमें से केवल एक विकल्प सही है। ओ०ए०आर० उत्तर पत्रक में प्रत्येक प्रश्न संख्या के सामने दिये गये चार वृतों में से केवल उस वृत को पूर्णतः काला करें जो आपके अनुसार उस प्रश्न के उत्तर का सही विकल्प है।
 - (D) केवल एक ही वृत को काला करें। एक से अधिक वृतों को काला करने पर कोई अंक नहीं दिया जायेगा। वृत को काला करने की गलत तथा सही विधियाँ नीचे दर्शाई गई हैं।

गलत विधि	गलत विधि	गलत विधि	गलत विधि	सही विधि
<input checked="" type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C) <input type="checkbox"/> (D)	<input type="checkbox"/> (A) <input checked="" type="checkbox"/> (B) <input checked="" type="checkbox"/> (C) <input type="checkbox"/> (D)	<input type="checkbox"/> (A) <input checked="" type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C) <input type="checkbox"/> (D)	<input type="checkbox"/> (A) <input checked="" type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C) <input type="checkbox"/> (D)	<input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C) <input type="checkbox"/> (D)

- यदि अभ्यार्थी प्राथमिक तथा मुख्य परीक्षा में सफल होता है तो विद्याज्ञान में प्रवेश हेतु चिकित्सा परीक्षा में उर्तीण होना आवश्यक है।
- इस प्रवेश पत्र को विद्याज्ञान प्राथमिक परीक्षा का परिणाम आने तक अपने पास सुरक्षित रखें और यदि मुख्य परीक्षा हेतु चयन होता है तो यह प्रवेश पत्र ही मान्य होता है।

विद्याज्ञान,
ए-५, सेक्टर-२४, नोएडा, जनपद गौतम बुद्ध नगर - २०१३०१ उत्तर प्रदेश
 * विद्याज्ञान वेबसाइट: www.vidyagyan.in/admissions
 ** हेल्प लाईन नम्बर: 1800-102-1784 (टोल फ्री)

Yashwant
 एस० को० माहेश्वरी
 परियोजना निदेशक एवं मुख्य प्रवेश अधिकारी
 विद्याज्ञान स्कूल

नोट: फॉर्म को भरने से पूर्व अहंतायें तथा संलग्न महत्वपूर्ण सूचनाओं का अध्ययन अवश्य कर लें।

- राजस्व विभाग द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र के अनुसार आवेदक जनपद के ग्रामीण क्षेत्र का स्थायी निवासी हो तथा उसके सम्पूर्ण परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये (एक लाख रुपया) से अधिक न हो। आधार कार्ड नम्बर तथा आधार की छायाप्रति संलग्न करें। सभी प्रमाण पत्रों की छायाप्रति तथा उस पर आवेदन पत्र का क्रमांक लिखकर संलग्न करना अनिवार्य है।
- आवेदक ग्रामीण क्षेत्र में स्थित राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय से कक्षा 3 तथा कक्षा 4 उतीर्ण होकर कक्षा 5 में अध्ययनरत हो। **विद्याज्ञान प्रवेश परीक्षा अन्तर्गत लिखित परीक्षा हेतु मात्र एक अवसर ही अनुमत्य है।**
- दिनांक 31 मार्च 2020 को बालिका की आयु 10 से 12 वर्ष तथा बालक की आयु 10 से 11 वर्ष से अधिक न हो।
- आवेदन पत्र भरकर प्रेषित करने की अन्तिम तिथि 15 अक्टूबर 2019 है। प्रारम्भिक परीक्षा की तिथि 24 नवम्बर 2019 है।
- दूरभाष, जन्मतिथि, आधार कार्ड के अंक तथा बैंक सम्बन्धी शब्द अंग्रेजी में तथा शेष आवेदन पत्र हिन्दी भाषा में भरने के उपरान्त एक छायाप्रति कारकर (छायाप्रति अपने पास सुरक्षित रख लें) मूल प्रति खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करा दें। आवेदन पत्र, फोटोयुक्त राजकीय पहचान पत्र अथवा आधार कार्ड की छायाप्रति तथा प्रवेश-पत्र के साथ ही परीक्षा कक्ष में पहुँचने की अनुमति है।
- आवेदन पत्र तथा विद्याज्ञान स्कूल में प्रवेश स्वीकार अथवा अस्वीकार करने संबंधी सम्पूर्ण अधिकार विद्याज्ञान में निहित रहेगा।

1. आवेदक का नाम: 3. लिंग : बालिका बालक

2. आवेदक आधार कार्ड संख्या

4. जन्म तिथि : दिन माह वर्ष 5. 31 मार्च 2020 को आयु :
(जन्म प्रमाण-पत्र के अनुसार)

6. पिता का नाम : पुत्र श्री :

शैक्षिक योग्यता : व्यवसाय :

7. माता का नाम : पुत्री श्री :

शैक्षिक योग्यता : व्यवसाय :

8. अध्ययनरत विद्यालय का नाम व पता: राजकीय निजि

9. मूल निवास का पता (मूल निवास प्रमाण-पत्र तथा आवेदक आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें।) जनपद के ग्रामीण क्षेत्र का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
ग्राम का नाम : पोस्ट ऑफिस

विकास तहसील जिला पिन कोड

खण्ड जिला पिन कोड

10. (अ) संरक्षक का नाम : पुत्र/पुत्री श्री :
(यदि माता-पिता संरक्षक नहीं हैं) (ब) विद्यार्थी का संरक्षक से संबंध :

11. पत्र-व्यवहार का पता : ग्राम का नाम :
(पोस्ट द्वारा सूचना भेजने हेतु आवश्यक)

पोस्ट ऑफिस विकास खण्ड पिन कोड

तहसील जिला पिन कोड

12. आवेदक का सम्पर्क-दूरभाष (टेलीफोन एसटीडी कोड सहित / मोबाइल) जिस पर आसानी से सम्पर्क किया जा सके:

(1) (2)

13. आधार कार्ड न0 14. बैंक खाता न0

(अभिभावक का) बैंक का नाम शाखा आई.एफ.एस.सी. कोड IFSC CODE

** विद्याज्ञान स्कूल में प्रवेश हेतु प्रारम्भिक लिखित परीक्षा 2020-21 का आवेदन एवं प्रवेश-पत्र दिनांक को निम्न प्रमाण-पत्रों सहित आवेदक/अभिभावक/प्रधान अध्यापक के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा।

-
-
-

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता मुहर सहित
पद.....

* विकास खण्ड संशाधन केन्द्र द्वारा प्रदान किया जायेगा

आवेदक स्वयं का
फोटो यहाँ
चिपकायें

3.5 सेमी X 4.5 सेमी

(अभिभावक फोटो पर हस्ताक्षर करें)

फॉर्म सं0

फॉर्म सं0

* यदि छायाप्रति हो तो नया क्रमांक

15. परिवार (पति एवं पत्नी की सम्मिलित आय) की कुल वार्षिक आय (राजस्व विभाग द्वारा निर्गत आय प्रमाण—पत्र संलग्न करें।) रु०

पिता की कुल आय	कृषि से	नौकरी से	अन्य खोतों से	योग.....
माता की कुल आय	कृषि से	नौकरी से	अन्य खोतों से	योग.....
योग				

16. पिता / अभिभावक के परिवार की कुल भूमि का ब्यौरा :

जोत बही के अनुसार खतौनी खाता सं० / गाटा सं० एवं कुल भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

पिता / अभिभावक का कुल भूमि में अंश :

17. आवेदक के अभिभावक द्वारा घोषणा :

- (1) कि विद्याज्ञान स्कूल में प्रवेश हेतु प्रारम्भिक परीक्षा संबंधी उपरोक्त आवेदक के परिवार के संबंध में प्रेषित समस्त सूचनायें सही हैं और मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।
- (2) मेरे पाल्य (पुत्र / पुत्री) द्वारा विद्याज्ञान प्रवेश परीक्षा हेतु प्रथम बार आवेदन किया जा रहा है। मैं यह भी घोषित करता / करती हूँ कि मेरे पाल्य द्वारा इससे पूर्व अपने संबंधी अथवा अभिभावक के अन्य किसी पते पर विद्याज्ञान प्रवेश विद्याज्ञान प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन नहीं किया गया है।
- (3) यदि कोई सूचना अपूर्ण, असत्य अथवा गलत पायी जाती है तो उसके लिए मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।
- (4) मेरे द्वारा अपूर्ण, असत्य अथवा गलत सूचना देने पर विद्याज्ञान स्कूल को मेरे पाल्य (पुत्र / पुत्री) का प्रवेश हेतु विद्याज्ञान आवेदन अथवा प्राप्त प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
- (5) मेरे परिवार (स्वयं मैं और मेरी पत्नी / पति) की समस्त खोतों से कुल वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक नहीं है।
- (6) मेरे पाल्य (पुत्र / पुत्री) का नाम एवं जन्म तिथि उपरोक्त वर्णित है और सही है। मैं उसके संशोधित करने हेतु अनुरोध नहीं करूँगा / करूँगी।
- (7) यदि आवेदन पत्र में वर्णित मेरी तथा मेरे पाल्य के व्यक्तिगत विवरण—जन्म तिथि, दूरभाष, बैंक खाता संख्या, आधार कार्ड सम्बन्धी सूचनाओं के आवेदन—पत्र के सन्दर्भ में किसी भी रूप में, जिसमें डिजिटाइजेशन भी सम्मिलित है, संग्रहित किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं आवेदन—पत्र के साथ मेरे परिवार से संबंधित निम्नलिखित प्रमाण—पत्र (कृपया करें) की छायाप्रति कराकर तथा उस पर आवेदन—पत्र का क्रमांक लिखकर संलग्न कर रहा हूँ—

1. राजस्व विभाग द्वारा निर्गत आय प्रमाण—पत्र।

2. राजस्व विभाग द्वारा निर्गत जनपद के ग्रामीण क्षेत्र के स्थायी निवास संबंधित प्रमाण—पत्र।

3. शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत आयु संबंधी प्रमाण—पत्र।

4. आवेदक विद्यार्थी का आधार कार्ड।

(8) यह कि विद्याज्ञान स्कूल में प्रवेश परीक्षा संबंधी समस्त संलग्न सूचनाओं एवं नियमों को अपनी आंचलिक भाषा में समझ लिया है और मुझको विद्याज्ञान में प्रवेश संबंधी समस्त नियम स्वीकार हैं तथा यदि मेरे पाल्य का लिखित परीक्षा एवं चिकित्सा परीक्षण के आधार पर विद्याज्ञान में प्रवेश नहीं हो पाता है तो मुझको स्वीकार है।

पिता / अभिभावक का नाम.....पुत्र.....आवेदक से संबंध.....

निवासी ग्राम.....पोस्ट.....तहसील.....जनपद.....

अभिभावक / संरक्षक के हस्ताक्षर

18. विद्यालय / विद्यालयों का विवरण जहाँ से कक्षा 3 व 4 की परीक्षा उत्तीर्ण की है तथा कक्षा 5 में अध्ययनरत है :—

कक्षा	विद्यालय का नाम एवं पता	राजकीय विद्यालय	मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय	विद्यालय में प्रथम प्रवेश का दिनांक	एस० आर०	
					क्रमांक	पृष्ठ संख्या
कक्षा—3						
कक्षा—4						
कक्षा—5						

अध्ययनरत विद्यार्थी के विद्यालय के प्रधान अध्यापक द्वारा आवेदक का फोटो प्रतिहस्तरित कर अग्रसारित।

नोट: प्रधान अध्यापक द्वारा संलग्न मार्गदर्शिका के अध्ययन कर तथा उसमें

वर्णित मानकों के अनुसार अग्रसारित करने का कष्ट करें।

प्रधान अध्यापक के हस्ताक्षर एवं मोहर

नोट : 1. विद्याज्ञान प्रवेश परीक्षा 2020–21 हेतु प्रवेश—पत्र के अनुसार निर्धारित केन्द्र पर बालिकाओं हेतु प्रातः 10:30 बजे से 12:30 बजे तथा बालकों हेतु दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक परीक्षा होगी।

2. उपरोक्त आवेदन—पत्र की छायाप्रति प्राथमिक प्रवेश परीक्षा हेतु सुरक्षित रख ली है और परीक्षा कक्ष में पहचान हेतु आवेदन—पत्र की छायाप्रति, प्रवेश—पत्र तथा फोटोयुक्त राजकीय पहचान पत्र अथवा आधार कार्ड की प्रति साथ लेकर जाना है।

3. आवेदन पत्र के साथ संलग्न उत्तर पुस्तिका का मॉडल / नमूना तथा विद्याज्ञान स्कूल में प्रवेश प्रक्रिया संबंधी समस्त महत्वपूर्ण सूचनाओं एवं नियमों को अपनी आंचलिक भाषा में समझ कर कार्यवाही की जा रही है।

हस्ताक्षर अभिभावक

विद्याज्ञान स्कूल - प्रारम्भिक प्रवेश परीक्षा- 2020-21

अभ्यास हेतु उत्तर पत्रक (OMR) नमूना

नोट :- यह 'उत्तर पत्रक' तथा 'प्रश्नावली' का मॉडल मात्र है और परीक्षा कक्ष में वितरित होने वाली 'उत्तर पुस्तिका एवं प्रश्नावली' से भिन्न हो सकता है। अतः विद्याज्ञान इस 'उत्तर पत्रक' तथा 'प्रश्नावली' मॉडल की कोई गरंटी नहीं देता है।

अनुक्रमांक Roll No. छाया प्रति क्रमांक अथवा
वेब साईट क्रमांक
(यदि हो)

सैट Set

परीक्षार्थी का नाम Examinee's Name

उत्तर पत्रक संख्या

पिता का नाम Father's Name

निवासी ग्राम Post

विकास खण्ड Taluk

जनपद Pin
कोड

अध्ययनरत
विद्यालय
का नाम

सम्बंधित गोले को भरें
सरकारी विद्यालय
निजि विद्यालय

मोबाइल नं. Aadhar
कार्ड संख्या

बार कोड

परीक्षा दिनांक
परीक्षार्थी के
हस्ताक्षर
Sig. of Exam.

कक्ष निरीक्षक के
हस्ताक्षर
Signature of
Invigilator

परीक्षा केन्द्र की मोहर
(मोहर बाक्स के अन्दर ही लगाए)

उत्तर (Answer)

प्रश्न सं.	उत्तर			
01	(A)	(B)	(C)	(D)
02	(A)	(B)	(C)	(D)
03	(A)	(B)	(C)	(D)
04	(A)	(B)	(C)	(D)
05	(A)	(B)	(C)	(D)
06	(A)	(B)	(C)	(D)
07	(A)	(B)	(C)	(D)
08	(A)	(B)	(C)	(D)
09	(A)	(B)	(C)	(D)
10	(A)	(B)	(C)	(D)
11	(A)	(B)	(C)	(D)
12	(A)	(B)	(C)	(D)
13	(A)	(B)	(C)	(D)
14	(A)	(B)	(C)	(D)
15	(A)	(B)	(C)	(D)
16	(A)	(B)	(C)	(D)
17	(A)	(B)	(C)	(D)
18	(A)	(B)	(C)	(D)
19	(A)	(B)	(C)	(D)
20	(A)	(B)	(C)	(D)
21	(A)	(B)	(C)	(D)
22	(A)	(B)	(C)	(D)
23	(A)	(B)	(C)	(D)
24	(A)	(B)	(C)	(D)
25	(A)	(B)	(C)	(D)

प्रश्न सं.	उत्तर			
26	(A)	(B)	(C)	(D)
27	(A)	(B)	(C)	(D)
28	(A)	(B)	(C)	(D)
29	(A)	(B)	(C)	(D)
30	(A)	(B)	(C)	(D)
31	(A)	(B)	(C)	(D)
32	(A)	(B)	(C)	(D)
33	(A)	(B)	(C)	(D)
34	(A)	(B)	(C)	(D)
35	(A)	(B)	(C)	(D)
36	(A)	(B)	(C)	(D)
37	(A)	(B)	(C)	(D)
38	(A)	(B)	(C)	(D)
39	(A)	(B)	(C)	(D)
40	(A)	(B)	(C)	(D)
41	(A)	(B)	(C)	(D)
42	(A)	(B)	(C)	(D)
43	(A)	(B)	(C)	(D)
44	(A)	(B)	(C)	(D)
45	(A)	(B)	(C)	(D)
46	(A)	(B)	(C)	(D)
47	(A)	(B)	(C)	(D)
48	(A)	(B)	(C)	(D)
49	(A)	(B)	(C)	(D)
50	(A)	(B)	(C)	(D)

प्रश्न सं.	उत्तर			
51	(A)	(B)	(C)	(D)
52	(A)	(B)	(C)	(D)
53	(A)	(B)	(C)	(D)
54	(A)	(B)	(C)	(D)
55	(A)	(B)	(C)	(D)
56	(A)	(B)	(C)	(D)
57	(A)	(B)	(C)	(D)
58	(A)	(B)	(C)	(D)
59	(A)	(B)	(C)	(D)
60	(A)	(B)	(C)	(D)
61	(A)	(B)	(C)	(D)
62	(A)	(B)	(C)	(D)
63	(A)	(B)	(C)	(D)
64	(A)	(B)	(C)	(D)
65	(A)	(B)	(C)	(D)
66	(A)	(B)	(C)	(D)
67	(A)	(B)	(C)	(D)
68	(A)	(B)	(C)	(D)
69	(A)	(B)	(C)	(D)
70	(A)	(B)	(C)	(D)
71	(A)	(B)	(C)	(D)
72	(A)	(B)	(C)	(D)
73	(A)	(B)	(C)	(D)
74	(A)	(B)	(C)	(D)
75	(A)	(B)	(C)	(D)

प्रश्न सं.	उत्तर			
76	(A)	(B)	(C)	(D)
77	(A)	(B)	(C)	(D)
78	(A)	(B)	(C)	(D)
79	(A)	(B)	(C)	(D)
80	(A)	(B)	(C)	(D)
81	(A)	(B)	(C)	(D)
82	(A)	(B)	(C)	(D)
83	(A)	(B)	(C)	(D)
84	(A)	(B)	(C)	(D)
85	(A)	(B)	(C)	(D)
86	(A)	(B)	(C)	(D)
87	(A)	(B)	(C)	(D)
88	(A)	(B)	(C)	(D)
89	(A)	(B)	(C)	(D)
90	(A)	(B)	(C)	(D)
91	(A)	(B)	(C)	(D)
92	(A)	(B)	(C)	(D)
93	(A)	(B)	(C)	(D)
94	(A)	(B)	(C)	(D)
95	(A)	(B)	(C)	(D)
96	(A)	(B)	(C)	(D)
97	(A)	(B)	(C)	(D)
98	(A)	(B)	(C)	(D)
99	(A)	(B)	(C)	(D)
100	(A)	(B)	(C)	(D)

**विद्याज्ञान स्कूल शैक्षिक वर्ष 2020–21 में प्रवेश हेतु दिनांक 24.11.2019 को आयोजित प्रारम्भिक लिखित परीक्षा
के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित राजकीय तथा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों हेतु मार्गदर्शिका**

1. शासनादेश सं0 1830 / 79–5–2013–1030 / 2010 दिनांक 30.05.2013 (छायाप्रति संलग्न) तथा विस्तारित प्रक्रिया अन्तर्गत विद्याज्ञान स्कूल में शैक्षिक वर्ष 2019–20 हेतु नियत प्रारम्भिक परीक्षा हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित समस्त राजकीय तथा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों से कक्षा 3 एवं 4 उत्तीर्ण करने के उपरान्त कक्षा 5 में अध्ययनरत (एस0आर0 क्रमांक संबंधी विवरण अनिवार्य है) एक विद्यार्थी को लिखित परीक्षा हेतु केवल एक ही अवसर अनुमत्य होता है। प्रथम बार आवेदन कर रहे समस्त पात्र विद्यार्थियों को यह अवसर प्राप्त होगा कि विद्याज्ञान में प्रवेश हेतु दिनांक 24.11.2019 को आयोजित होने वाली प्रारम्भिक लिखित परीक्षा हेतु आवेदन कर सकेंगे।
2. यदि आवेदन—पत्र कम पड़ जाते हैं अथवा उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो उपलब्ध रिक्त आवेदन—पत्र की प्रति (छात्र हेतु बालक तथा छात्राओं हेतु बालिका प्रथक—प्रथक) से फोटो स्टेट करकर अथवा इन्टरनेट से www.vidyagyan.in/admissions से डाउनलोड कर उसकी छायाप्रति पर भी आवेदक द्वारा उपयोग में लाया जाकर आवेदन किया जा सकता है। छायाप्रति आवेदन—पत्र तथा छायाप्रति प्रवेश पत्र पर मूल नम्बर के ऊपर विकास खण्ड का नाम अंकित कर नया क्रमांक खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रदान किया जायेगा।
3. आवेदक विद्यार्थी के अभिभावक जनपद के ग्रामीण क्षेत्र के स्थायी निवासी हों, जिसकी पुष्टि स्थायी निवास प्रमाण पत्र से होती हो और उनकी वार्षिक आय (माता एवं पिता की आय सम्मिलित करते हुए) एक लाख रुपये से अधिक न हो (राजस्व विभाग द्वारा निर्गत प्रमाण—पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)। राजस्व विभाग द्वारा निर्गत आय तथा ग्रामीण क्षेत्र का स्थायी निवास प्रमाण—पत्र के अभाव में प्रारम्भिक लिखित परीक्षा हेतु आवेदन मान्य नहीं है।
4. आवेदक विद्यार्थी की दिनांक 31 मार्च, 2020 को आयु : बालिकाओं हेतु न्यूनतम 10 वर्ष एवं अधिकतम 12 वर्ष तथा बालकों हेतु आयु : न्यूनतम 10 वर्ष एवं अधिकतम 11 वर्ष से अधिक न हो। आवेदक विद्यार्थी का आधार कार्ड नम्बर का विवरण तथा कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें। आवेदन सम्बन्धी समस्त विवरणों का 'डिजिटीकरण' किया जाता है।
5. नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर परिषद सीमा अन्तर्गत स्थित किसी भी प्रकार के विद्यालय के विद्यार्थी प्रारम्भिक लिखित परीक्षा तथा तदुपरान्त विद्याज्ञान स्कूल में प्रवेश हेतु पात्र नहीं हैं।
6. कृपया इंटरनेट से डाउनलोड/मूल आवेदन पत्र अथवा उसकी छायाप्रति आवेदन को अग्रसारित करने से पूर्व सुनिश्चित कर लें कि आवेदन—पत्र पूर्ण एवं त्रुटिहीन है। किसी भी दशा में आपात्र विद्यार्थी का आवेदन अग्रसारित नहीं करें। आवेदन—पत्र के साथ आवेदक आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र स्थायी निवास तथा आय प्रमाण—पत्र की छायाप्रति संलग्न कर (प्रत्येक पृष्ठ पर आवेदन पत्र की संख्या लिखकर) खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दिनांक 15 अक्टूबर, 2019 तक अवश्य जमा करा दें। आवेदन की एक प्रति विद्यालय तथा एक विद्यार्थी के उपयोगार्थ सुरक्षित रख लें।
7. आवेदक विद्यार्थियों के मध्य आवेदन पत्र के साथ संलग्न मॉडल उत्तर पत्रक (OMR Sheet) एवं प्रश्नावली (यह नमूना ही है और परीक्षा कक्ष में वितरित होने वाली प्रश्नावली एवं उत्तर पुस्तिका से भिन्न हो सकता है) पर अभ्यास कराने का कष्ट करें जिससे ग्रामीण क्षेत्र के अत्यन्त युवा विद्यार्थी नई परीक्षा प्रणाली से परिचित हो जायें। प्रारम्भिक परीक्षा के मूल्यांकन के उपरान्त, सम्पूर्ण राज्य के न्यूनतम अंकों के सर्वोच्च अंक प्राप्त श्रेष्ठ विद्यार्थियों के मध्य (बालिका एवं बालक प्रथक—2) विद्याज्ञान स्तर पर आयोजित मुख्य परीक्षा (ऑन—लाइन) के परिणाम के आधार पर, सर्वोच्च अंक प्राप्त प्रतिभागी जिनमें से न्यूनतम 40% बालिकायें होंगी, के भौतिक सत्यापन के उपरान्त विद्याज्ञान प्रांगण में पारस्परिक संवाद, विस्तृत चिकित्सा परीक्षण तथा अकादमिक अभिलेखों के भौतिक सत्यापन के उपरान्त विद्याज्ञान स्कूल में कक्षा 6 स्तर पर प्रवेश प्राप्त होता है।
8. आपके विद्यालय के आवेदक विद्यार्थियों के अभिभावक तथा विद्यार्थियों को भलीभांति यह जानकारी कराने का कष्ट करें कि खण्ड शिक्षा अधिकारी से ज्ञात कर लें कि प्रारम्भिक लिखित परीक्षा केन्द्र कहाँ है। इसके साथ ही आवेदक विद्यार्थियों को परीक्षा में भाग लेने हेतु प्रेरित करने का कष्ट करें। विद्यार्थियों की इस नवीन परीक्षा प्रणाली का अभ्यास एवं अनुभव उपलब्ध कराने के साथ—साथ आपको प्रतिभा तलाश एवं तराश कर प्रतियोगिता में सफलतापूर्वक चयन में भागीदार होने का गौरव प्राप्त होगा।

(एस0 के0 माहेश्वरी)
परियोजना निदेशक, विद्याज्ञान स्कूल

शासनादेश सं0 – 1830 / 79–5–2013–1030 / 2010 दिनांक 30.05.2013 की प्रति

प्रेषक, सुनील कुमार,
प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में, 1. निदेशक, बेसिक/माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
2. परियोजना निदेशक, एस0एस0एन0 विद्याज्ञान ट्रस्ट, ऐ-5, सैकटर-24, नौएडा, जनपद—गौतम बुद्ध नगर।

शिक्षा अनुभाग—5

विषय: **एस0एस0एन0 विद्याज्ञान स्कूल एवं छात्रवृत्ति योजना के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक श्री एस0 के माहेश्वरी, परियोजना निदेशक, विद्याज्ञान स्कूल के पत्रांक – विद्याज्ञान /94 /2013–14, दिनांक 21–01–2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विद्याज्ञान स्कूल में प्रवेश के संबंध में शासनादेश संख्या – 312 /15–11–08 दिनांक 20–02–2008 एवं संशोधित शासनादेश संख्या – 545 /15–11–08 दिनांक 03–04–2008 में तथा समझौता – ज्ञापन दिनांक 10–03–2008 में संशोधन एवं नये निर्देश जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. उपर्युक्त के क्रम में पूर्व में निर्गत उपरोक्त शासनादेशों क्रमशः दिनांक 20–02–2008 एवं 03–04–2008 को निरस्त करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शिव नाडर फाउंडेशन/ट्रस्ट एवं उ0प्र0 सरकार द्वारा एस0एस0एन0 विद्याज्ञान स्कूल एवं छात्रवृत्ति योजना सम्मिलित रूप से अब निम्नलिखित व्यवस्थाओं एवं शर्तों के अधीन संचालित की जायेगी:-

ट्रस्ट के दायित्व

- (1) उत्तर प्रदेश राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों (जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये तक है) के मेधावी विद्यार्थियों (न्यूनतम 1 / 3 बालिकाएँ) को विश्वस्तरीय उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने हेतु उच्च गुणवत्ता के अकादमिक केन्द्र विभिन्न स्थानों पर स्थापित करेंगे। ऐसे शिक्षण केन्द्रों का समस्त वित्त पोषण, प्रबंधन तथा संचालन ट्रस्ट द्वारा किया जायेगा।
- (2) ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी विद्यार्थियों को कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की उच्च एवं उत्कृष्ट आवासीय स्कूल शिक्षा नितान्त निःशुल्क प्रदान करेगा।
- (3) चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 12 तक की उच्च गुणवत्ता की शिक्षा के साथ—2 व्यवसायिक पाठ्य की प्रवेश परीक्षा हेतु तैयारी करायी जायेगी।
- (4) नगरीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों की भाँति, ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को उपयुक्त शैक्षिक वातावरण एवं अवसर प्रदान करेगी तथा साथ—ही—साथ उच्च शैक्षिक पथ हेतु सर्वोत्तम सुविधाएँ उपलब्ध करायेगी।
- (5) शैक्षिक केन्द्रों की स्थापना हेतु क्रय की जाने वाली भूमि, भवन निर्माण, मानव संसाधन एवं संचालन पर होने वाले क्रमिक व्यय को ट्रस्ट अपने संसाधनों से वहन करेंगे। राज्य सरकार ऐसे अकादमिक केन्द्रों की स्थापना तथा संचालन में किसी प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करेगी।
- (6) विद्याज्ञान स्कूल में दो स्तरों पर लिखित परीक्षाओं के माध्यम से उपयुक्त एवं सक्षम मेधावी विद्यार्थियों का चयन ट्रस्ट सुनिश्चित करेगी। लिखित परीक्षा की प्रक्रिया निम्नवत् होगी:—
- (क) चयनित जनपदों में, प्रथम चरण की लिखित परीक्षा जिला स्तर पर संचालित की जायेगी और इसे प्राथमिक परीक्षा के नाम से जाना जायेगा और ट्रस्ट के प्रतिनिधि की उपस्थिति में परीक्षा संचालित की जायेगी। प्राथमिक परीक्षा का प्रबंध जिला मजिस्ट्रेट के मार्गदर्शन एवं नियंत्रण में जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सहित अन्य विभागों की सहायता से सम्पन्न करायी जायेगी।
- (ख) अग्रिम स्तर की परीक्षा को अंतिम परीक्षा के नाम से जाना जायेगा। अंतिम परीक्षा संबंधित विद्याज्ञान स्कूल द्वारा आयोजित की जायेगी, जिसमें प्राथमिक परीक्षा के न्यूनतम अंकों के सफल विद्यार्थियों (बालक एवं बालिकाओं) को उपयुक्त अनुपात में संबंधित विद्याज्ञान स्कूल के परीक्षा केन्द्र में अंतिम परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जायेगा। इस अंतिम परीक्षा के न्यूनतम आवश्यक अंकों के परिणाम के आधार पर मेधावी विद्यार्थियों को संबंधित विद्याज्ञान स्कूल में प्रवेश प्रदान किया जायेगा।
- (ग) भविष्य की आवश्यकताओं और परिस्थितियों के दृष्टिगत, यदि आवश्यक हो और पात्र विद्यार्थियों के चयन हेतु, ट्रस्ट कार्यान्वयन एवं प्रवेश प्रक्रिया को संशोधित कर सकेंगे, जिससे सक्षम मेधावी विद्यार्थियों का चयन सम्भव हो सके। अग्रेतर समय—2 पर, ट्रस्ट राज्य स्तरीय एवं केन्द्र सरकार की एजेंसीज / विभागों अथवा उनकी योजनाओं / प्रक्रियाओं की पात्र विद्यार्थियों के चयन में सहायता ले सकेंगे।
- (घ) उपरोक्त प्रक्रियाओं के रहते हुए भी, विद्याज्ञान स्कूल में विद्यार्थियों के चयन की प्रक्रिया में ट्रस्ट का निर्णय अंतिम होगा।

राज्य सरकार के दायित्व:

- (1) राज्य सरकार, शिक्षा प्रशासन एवं जिला प्रशासन को ऐसे समुचित निर्देश प्रसारित करेगी जिससे औपचारिक अकादमिक उपलब्धियों के आधार पर प्रत्येक बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों से सर्वोच्च अंक प्राप्त एक बालिका एवं एक बालक का अभिज्ञान जिला स्तर की प्राथमिक परीक्षा हेतु हो सके। संबंधित विभागों को, अभिज्ञान विद्यार्थियों को प्राथमिक लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश—पत्र निर्गत करने तथा जिला मुख्यालय पर लिखित परीक्षा की व्यवस्था हेतु भवन, प्रांगण एवं परीक्षा संचालन हेतु मानव संसाधन उपलब्ध कराने हेतु निर्देश प्रसारित करेगी।
- (2) समझौता—ज्ञापन के उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ऐसे निर्देश प्रसारित करेगी कि जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से अन्य स्थानीय विभागों द्वारा विद्याज्ञान स्कूल में पात्र विद्यार्थी का चयन एवं प्रवेश में ट्रस्ट को सहयोग प्राप्त हो सके और विद्याज्ञान स्कूल में निष्पक्ष प्रवेश प्रक्रिया हेतु समय—2 पर प्रशासनिक सहायता एवं सहयोग हेतु निर्देश प्रसारित करेगी।

उभय पक्ष के दायित्व:

- (1) उपरोक्त कार्यों को सम्पादित करने हेतु समस्त व्यय भार ट्रस्ट द्वारा वहन किया जायेगा। राज्य सरकार, जैसा कि ऊपर व्यक्त किया गया है, विद्याज्ञान स्कूल में मेधावी विद्यार्थियों के निष्पक्ष चयन एवं प्रवेश हेतु सभी प्रकार का सहयोग एवं सहायता प्रदान करेगी।
- (2) इस समझौता—ज्ञापन में वर्णित उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ट्रस्ट एवं राज्य सरकार संयुक्त रूप से इस प्रकार से कार्यवाही करेंगे जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों (न्यूनतम 1 / 3 बालिकाओं) का निष्पक्ष रूप से चयन बिना किसी कठिनाई के सम्भव हो सकें।
- (3) उपर्युक्त प्रस्तर—2 (6) (क) के संबंध में जनपद का चयन ट्रस्ट एवं राज्य सरकार की सहमति से किया जायेगा।

भवदीय,
(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. प्रमुख सचिव, न्याय अनुभाग—1
2. प्रमुख सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—1
3. परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उ0प्र0 लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, उ0प्र0 लखनऊ।
7. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक / जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
8. उ0प्र0 सचिवालय, शिक्षा विभाग के समस्त अनुभाग।
9. गार्ड बुक।

भवदीय,
(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव